

	(ग) सार्वजनिक नहरों, जल मार्ग, कुँओं, तालाबों, टैंकों (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई टैंकों को छोड़कर) सार्वजनिक झरनों, जलाशयों, हौज, जलसेतु तथा कोई पार्श्वस्थ भूमि (निजी सम्पत्ति न हो) जो किसी सार्वजनिक टैंकों अथवा तालाबों से संबंधित हो और इससे संबंधित भूमि; (घ) सार्वजनिक मलनालियों, नालियों जल-निकास कार्यों, सुरंगों तथा पुलियों एवं इससे संबंधित चीजों और अन्य मल सफाई कार्य; (ङ) मलवहन, कूड़ा-करकट तथा गलियों में फेंकी गई घृणोत्पादक पदार्थ अथवा द्वीप परिषद द्वारा गलियों, शौचालयों, पेशाबघरों, नहरों, मैला डालने की जगह तथा अन्य स्थान, तथा; (च) सार्वजनिक लैम्पों, लैम्प पोस्टों तथा उसमें लगे अथवा इससे संबंधित उपकरणों; (2) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी मार्केटों तथा मेलों या उसके भाग, जिसे द्वीप परिषद द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाएगा तथा इसके उगाही के लिए बकाया अथवा अधिरोपित बकाया द्वीप परिषद में जमा किया जाएगा ।	
	78. यदि धारा 75 के अंतर्गत ऐसे किसी फीस को लगाया गया है तो मार्केटों तथा बाजारों की सार्वजनिक नीलामी करके इसे पट्टे पर देना अथवा निजी करार द्वारा किसी फीस को इक्ठ्ठा करना द्वीप परिषद के लिए विधि सम्मत होगा ।	मार्केट आदि को पट्टे पर देना
	79. (1) जब द्वीप परिषद को देय कोई कर अथवा फीस अथवा अन्य राशि हो तो द्वीप परिषद कम से कम व्यावहारिक विलम्ब के साथ इसके भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को देय राशि के लिए निर्धारित फार्म में मांग सूचना भेजेगा और इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने को कहेगा । (2) विहित अनुसार उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक मांग सूचना भेजी जाएगी । (3) यदि ऐसी राशि जिसके लिए मांग सूचना भेजी गई है और ऐसी सूचना भेजा गया है और ऐसी सूचना भेजने की तिथि से तीस दिनों के भीतर भी इसका भुगतान नहीं किया गया है, तो द्वीप परिषद विहित अनुसार इसकी वसूली के लिए संबंधित सहायक आयुक्त को आवेदन करेगा ।	कर तथा अन्य बकाया राशि की वसूली
	80. प्रत्येक द्वीप परिषद विहित अनुसार अपने प्राप्तियों एवं खर्चों के लेखा का रख-रखाव करेगा ।	लेखा